संख्या-49/2024/382/सत्तर-4-2024-001-70-4099/13/2024

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
2. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक : 28 मार्च, 2024**

विषय- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों का मूल्यांकन अतिरिक्त ऊर्जा विभाग की नोडल एजेन्सी यूपीनेडा से कराया गया। यूपीनेडा द्वारा आंकलित लागत (प्रति संलग्न) के सापेक्ष सम्यक विचारोपरांत मा0 राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 73 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष- 4202- शिक्षा , खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, 01- सामान्य शिक्षा, 203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, 20- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन हेतु सहायता, 2001-राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रूफटॉप सोलर सिस्टम, 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित विवरण व शर्तों के अनुसार रू0 4,55,69,865.00 लाख (चार करोड पचपन लाख उनहत्तर हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के प्रस्ताव पर सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	यूपीनेडा द्वारा आंकलित लागत	स्वीकृत धनराशि
1	उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज	1,37,34,293.00	1,37,34,293.00
2	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	2,38,85,728.00	2,38,85,728.00
3	ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ	79,49,844.00	79,49,844.00
	योग	**4,55,69,865.00**	**4,55,69,865.00**

<u>नियम व शर्ते एवं प्रतिबन्ध :-</u>

1. उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जाएगा।
2. प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा भविष्य में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
3. विश्वविद्यालय द्वारा क्रय किये जाने वाले उपकरणों/संयंत्रों का रख-रखाव स्वयं के स्रोतों से किया जाएगा।
4. प्रश्नगत कार्य हेतु आने वाली अतिरिक्त लागत का वहन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।
5. प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जाएगा जिस कार्य/मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
6. उक्त स्वीकृत अनुदान के बिल पर संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा।
8. उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि कोई धनराशि शेष बचती है, तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाएगी।
10. स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. आहरण एवं वितरण अधिकारी आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2022 दिनांक 17 मार्च, 2023 प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध करायेंगे।
12. किसी भी वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,55,69,865 (रुपये चार करोड़ पचपन लाख उनहत्तर हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 073 लेखा शीर्षक 4202012032001 राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रूफटॉप सोलर सिस्टम मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-11-474-X-2023-24, दिनांक- 23 मार्च, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।।

Digitally Signed by प्रेम कुमार पाण्डेय
Date: 28-03-2024 14:45:47
Reason: Approved

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-49/2024/382(1)/सत्तर-4-2024-001-70-4099/13/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

Digitally Signed by प्रेम कुमार पाण्डेय
Date: 28-03-2024 14:47:07
Reason: Approved

आज्ञा से

(प्रेम कुमार पाण्डेय)

संयुक्त सचिव।